# बिहार सरकार
## नगर विकास एवं आवास विभाग
## ।। संकल्प ।।

**विषयः–राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) योजना के अंतर्गत गठित बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण प्रबंध सोसाईटी (BGCMS) कार्यालय के लिए संविदा आधारित स्वीकृत 32 पदों के विरूद्ध आवश्यकता आधारित पदों पर Consultancy के माध्यम से Professionals की सेवा प्राप्त करने की स्वीकृति।**

बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण प्रबंध सोसाईटी (BGCMS) कार्यालय के लिए 32 पदों का सृजन, सृजित पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति तथा उस पर होने वाले अनुमानित व्यय की स्वीकृति राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 01.09.2015 के मद सं0 32 के रूप में प्राप्त की गयी थी तथा संकल्प भी निर्गत है।

2. BGCMS की Governing Council की दिनांक–27.05.2013 को सम्पन्न द्वितीय बैठक में PMU के रूप में Professionals की सेवा H.R Agency के माध्यम से प्राप्त करने का निर्णय हुआ था, परन्तु इसी बीच 32 पदनाम के विरूद्ध Buidco द्वारा Contract के आधार पर विशेषज्ञों के नियोजन हेतु ऑन लाईन आवेदन प्राप्त किया गया। इसमें से केवल 06 Positions के लिए साक्षात्कार विभाग द्वारा आयोजित किया गया था परन्तु 4 Positions के विरूद्ध ही आवेदक उपस्थित हुए तथा एक ने कार्य छोड़ दिया, जिसके पश्चात् 03 Professionals, Environmental Specialist (Ganga), Monitoring/Evaluation (M/E) Officer एवं Sr. Civil Engineer ही कार्यरत रह गए हैं। अनुबंध के अनुसार इसमें से Monitoring/Evaluation (M/E) Officer एवं Sr. Civil Engineer का नवम्बर, 2017 एवं Environmental specialist (Ganga) का 01 दिसम्बर, 2017 में कार्यकाल पूरा हो जायेगा।

3. दिनांक–09.08.2017 को Cabinet Secretary, भारत सरकार की अध्यक्षता में High Level Task Force की बैठक में SPMG बिहार को सुदृढ़ करने संबंधी दिए गए निदेश के आलोक में BGCMS कार्यालय को सशक्त बनाने हेतु प्रधान सचिव के कार्यालय कक्ष में दिनांक 11.08.17 को बैठक हुई जिसमें पदों की आवश्यकता तथा नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। वर्तमान में नमामि गंगे योजना के अधीन बिहार के लिए लगभग 5000.00 करोड़ रू की 20 से अधिक योजनाएँ NMCG से स्वीकृत हो चुकी है। इनके सतत् monitoring एवं Quality Control हेतु अब अधिक संख्या में Professionals की आवश्यकता है, जिसके लिए तुरंत कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। NMCG, GoI एवं World Bank द्वारा आयोजित बैठकों में लगातार SPMG को सुदृढ़ करने के लिए अधिक विशेषज्ञों/पदाधिकारियों को नियुक्त करने पर बल दिया जाता रहा है।

4. सीधे संविदा के आधार पर नियुक्त विशेषज्ञों से कार्य लेने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। प्रथम तो required Qualification के विशेषज्ञ नहीं मिलते हैं, दूसरा जब ये किसी कारण से स्वयं कार्य छोड़ जाते हैं या हटाए जाते हैं तो फिर उस पद पर नियोजन में उतनी ही लम्बी प्रक्रिया को पुनः अपनाना होता है, जिसमें काफी विलंब होता है और कार्य भी प्रभावित होता है। सभी विशेषज्ञों का व्यक्तिगत दायित्व अलग–अलग रहने से इन्हें नियंत्रण में रखना भी आसान नहीं होता है तथा टीम भावना का भी अभाव होता है। उक्त अनुभव के आलोक में यह महसूस किया गया है कि Consultancy संस्था के माध्यम से उक्त पदों के विरूद्ध विशेषज्ञों की सेवा प्राप्त की जाय। Consultancy संस्था के टीम लीडर से कार्य कराना आसान होता है, Co-ordination एवं कार्यों की Monitoring में भी आसानी होती है। इस प्रकार के नियोजन में Output based एवं

Input based deliverables के आधार पर भी Payment किया जा सकता है। Consultancy संस्था का चयन खुली निविदा के माध्यम से किया जायेगा।

5. अपनायी जाने वाली प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाएगी।

6. Professionals की नियुक्ति में बिहार सरकार के द्वारा लागू आरक्षण नियमों का अनुपालन किया जाएगा।

7. उक्त प्रस्ताव पर दिनांक–10.10.2017 को सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के मद सं0– 16 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

**8. अतः राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) योजना के अंतर्गत गठित बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण प्रबंध सोसाईटी (BGCMS) कार्यालय के लिए संविदा आधारित स्वीकृत 32 पदों के विरूद्ध आवश्यकता आधारित पदों पर Consultancy के माध्यम से Professionals की सेवा प्राप्त करने की स्वीकृति पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।**

**आदेश**– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/नगर निकायों /महालेखाकर, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

16/10/2017

(चैतन्य प्रसाद),
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक :–03/NGRBA-02/2012 2357 न0वि0एवंआ0पि0, दिनांक– 17/10/17

प्रतिलिपिः–अधीक्षक राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग प्रेस, पटना/अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी0डी0 संलग्न) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि बिहार रापपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए संकल्प की दो सौ प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

16/10/2017

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :–03/NGRBA-02/2012 2357 न0वि0एवंआ0पि0, दिनांक– 17/10/17

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मा0 मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/मा0 मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्षों/सभी प्रमंडलीय आयुक्तों/सभी जिला पदाधिकारियों/प्रबंध निदेशक, बुडको/अपर सचिव–सह–निदेशक, बुडा/सहायक निदेशक, BGCMS/निदेशक, NMCG, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/10/2017

सरकार के प्रधान सचिव।